

उत्तलतु - उत्तरा ५५ ०० - ०० - ०० - ०० - ०० - ००
D- 15-10-18

न्यायालय-श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बीना, जिला-सागर

Presented by
V. Tamrakar
on 23/07/18

23/07/18

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
द्वारा सतीश चौकसे, उपयंत्री आयु 44 वर्ष 510 श्री लक्ष्मण सिंह
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दीनदयाल नगर,
हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, मकरोनिया, सागर।

.....अभियोगी

बनाम

1. मे. भारत ओमान रिफाइनरी लि०
पंजीकृत कार्यालय पता- प्रशासनिक भवन, रिफाइनरी परिसर पोस्ट-
बीओआरएल आवासीय परिसर, बीना - 470124 सागर (म.प्र.)
2. श्री सुंदर राजन, प्रबंध संचालक,
पंजीकृत कार्यालय पता- प्रशासनिक भवन, रिफाइनरी परिसर पोस्ट-
बीओआरएल आवासीय परिसर, बीना - 470124 सागर (म.प्र.)
3. श्री अभयराज भण्डारी, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट,
मे. भारत ओमान रिफाइनरी लि. पंजीकृत कार्यालय पता- प्रशासनिक भवन,
रिफाइनरी परिसर पोस्ट- बीओआरएल आवासीय परिसर, बीना - 470124
सागर (म.प्र.)
4. श्री सामरेन्दु चटर्जी, ज्वाइंट सीनियर वाइस प्रेसीडेंट,
मे. भारत ओमान रिफाइनरी लि. पंजीकृत कार्यालय पता- प्रशासनिक भवन,
रिफाइनरी परिसर पोस्ट- बीओआरएल आवासीय परिसर, बीना - 470124
सागर (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 43 एवं 44 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)
अधिनियम - 1974
अभियोग पत्र

श्रीमान जी,

अभियोगी का अभियोग पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन म.प्र. में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य में जल प्रदूषण रोकने हेतु किया गया है, अभियोगी का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय, दीन दयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, मकरोनिया सागर में स्थित है तथा अभियोगी की ओर से उपयंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर को न्यायालयीन कार्यवाही करने एवं अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है।
2. यह कि, अभियुक्त क. 1 मेसर्स भारत ओमान रिफाइनरी लि० बीना जिला-सागर द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। अभियुक्त क. 2 मेसर्स भारत ओमान रिफाइनरी लि० बीना जिला-सागर के प्रबंधक संचालक हैं अभियुक्त क. 3 मेसर्स भारत ओमान रिफाइनरी लि० बीना जिला-सागर के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट हैं तथा अभियुक्त क. 4 उद्योग के पर्यावरण सुरक्षा के प्रभारी हैं। इस प्रकार अभियुक्त क. 2, 3 एवं 4 उद्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी हैं।
3. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधि.1974 की धारा 25 एवं 26 के अन्तर्गत प्रदूषण को रोकने के लिये किसी भी उद्योग को जिसके द्वारा प्रदूषित जल का निस्स्राव नदी तथा नाले या जमीन पर किया जा रहा है, के लिये अनिवार्य होता है कि वे अभियोगी से सम्मति प्राप्त करें तथा सम्मति पत्र में वर्णित शर्तों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना तथा उद्योग को जल एवं वायु

URT

ARC

T W

2 3

9 10

निर्देशों का पालन करना तथा उद्योग को जल एवं वायु

निर्देशों का पालन करना तथा उद्योग को जल एवं वायु

निर्देशों का पालन करना तथा उद्योग को जल एवं वायु

निर्देशों का पालन करना तथा उद्योग को जल एवं वायु